

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

सीता देवी पत्नि श्री रामकिशन गुर्जर नि. अभयपुरा
बनाम

नरेन्द्र पिता रामनारायण ब्राहमण नि. अभयपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 43/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
03.02.20	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का आमल्दा तहसील जहाजपुर में आ0 न0 73/1 रकबा 03.16 बीघा, आ.न. 75 रकबा 1.00 बीघा, आ.न. 76/1 रकबा 0.07 बीघा, आ.न. 80 रकबा 1.17 बीघा, आ.न. 81/1 रकबा 0.16 बीघा कुल किता 5 रकबा 7.16 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी ववाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का आमल्दा तहसील जहाजपुर में आ0 न0 73/1 रकबा 03.16 बीघा, आ.न. 75 रकबा 1.00 बीघा, आ.न. 76/1 रकबा 0.07 बीघा, आ.न. 80 रकबा 1.17 बीघा, आ.न. 81/1 रकबा 0.16 बीघा कुल किता 5 रकबा 7.16 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 800 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

